

¹[नियम 64 : आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का उपबंध करने वाले व्यक्तियों और भारत से बहार किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो भारत से बहार किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग का उपबंध कर रहा है या भारत से बहार किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को या गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का उपबंध कर रहा है, पश्चात्तर्वर्ती कलेंडर मास या उसके भाग के बीसवें दिन को या उसके पूर्व प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरण फाइल करेगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 51/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा नियम 64 प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)। प्रतिस्थापना से पूर्व यह इस प्रकार था:

“नियम 64 : ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

A[भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति] कलेंडर मास या उसके भाग के पश्चात्तर्वर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी फाइल करेगा।

A अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा “भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।